# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्वेता कोचर ( आर0ए0एस0 )
मिसल न0– 35 / 2021
अनवान :–
1. रणजीत पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

प्रार्थी

बनाम

1. गुड्डी पुत्री रामसिह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर ।
2. महेन्द्र पुत्र रामसिह जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र सिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. शेरसिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. मदनसिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. रविन्द्र सिह पुत्र बगडावत जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. रामुकंवर पत्नी बगडावत जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. सरोज पत्नी प्रतापसिह जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. भंवरी पुत्री हरू जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. रतना पुत्री हरू जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
11. विक्रम पुत्र प्रतापसिह जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
12. लक्ष्मणसिह पुत्र प्रतापसिह जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
14. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैक शाखा जसाना तहसील नोहर।
15. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा नोहर।

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, प्रार्थी
श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता गैरसायल
निर्णय दिनांक : 04/07/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की

रोही मोजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 135 / 42 की कुल 1.0120हैक्ट भूमि का सायल खातदेार काश्तकार है एव रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94 / 20 की कुल 8.1090हैक्ट भूमि में गैरसायलान की शामिल खाते की भूमि है। गैरसायलान की भूमि का सहखातेदार हरू पुत्र गणपतराम का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिस गैरसायल संख्या 9 ता 12 है।

सायल की चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 135 / 42 की कुल 1.0120हैक्ट भूमि पर सायल काबिज काश्तकार है लेकिन सायल का अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई भी स्वीकृत रास्ता नही है जिससे सायल को अपनी भूमि काश्त करने में भारी परेशानी हो रही है।

सायल के किला न0 10 की भूमि के गैरसायलान की किला न0 1 के चिपती भूमि है इसलिये सायल अपनी भूमि में जाने के लिये सायल गावं जसाना से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायल की भूमि रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94 / 20 की कुल 8.1090हैक्ट के प0न0 317 / 402(33) के किला न0 1 / 2 की 0.2280हैक्ट में से मिन पश्चिम की 0.013हैक्ट भूमि में से होते हुए अपने खेत रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 135 / 42 के प0न0 317 / 403(33) के किला न0 10 में प्रवेश करता है यह रास्ता सदामत से चालू है।

Scanned with OKEN Scanner

... खातेदारी भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है यह रास्ता सबसे नजदीकी एव सुविधाजनक रास्ता है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है इसलिये गैरसायलान उक्त रास्ता को कभी भी बन्द कर सकते है।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता सुविधाजनक एवं नजदीकी है जिसे राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर दर्ज करवाना चाहता है तथा रास्ता की भूमि के बदले मे भूमि एव बाजार भाव से रूपये जो भी गैरसायलान चाहेगे देने के लिये तैयार है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान की भूमि रोही मोजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 के प0न0 317/402(33) के किला न0 1/2 के मिन पश्चिम की 0.013हैव भूमि में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये अधिवक्ता तलब किया गया तथा तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट चाही गई। गैरसायल संख्या 1 ता 10 ,12 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा गैरसायल संख्या 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया गया

गैरसायलान की मुश्तरका खातेदारी भूमि है रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090हैक्ट भूमि में से तीन सगं भाईयो की भूमि में से रास्ता लेने का प्रार्थना पत्र नियम विरूद्व पेश किया गया है रास्ता लेने के लिये एक ही भूमि के तीन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है एक प्रार्थना पत्र 35/2021 रणजीत बनाम गुडडी , प्रार्थना पत्र 1090/2021 रामप्रताप बनाम गुडडी , प्रार्थना पत्र. 4/2022 दुनीराम बनाम गुडडी पेश कर रखे है एक अन्य प्रार्थना पत्र सिलोचना बनमा गुडडी भी विचाराधीन है सभी प्रार्थना पत्रो को धारा 10 सीपीसी के तहत इस प्रार्थना पत्र के सलग्न कर सुनवाई की जावे।

गैरसायल उतरदाता के खेत में पहले से ही दो रास्ते चल रहे है अब तीसरा रास्ता और मंगा जा रहा है इसके अलावा तीन सगे भाई दुनीराम , रामप्रताप, रणजीत ने तो गैरसायल की भूमि को काश्त योग्य ही रहने देने की घमकी दी गई है गैरसायल की भूमि के टुकडे हो जावेगे गैरसायल उत्तरदाता के नाम विरास्तन नामान्तकरण नही हुआ है उसके पूर्वजो के नाम भूमि दर्जहै इसलिये मुश्तरका खाते की भूमि में चार प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है गेरसायल छोटा काश्तकार है जिसे परेशाान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किये जा रहे है।

सायल रणजीत व उसके भाईयो रामप्रताप व दुनीराम की पहले मुश्तरका खाते की भूमि थी जिसका बटबारा कर अपने खाते अलग अलग किये गये है अपने अपने खेत में रास्ता की सुविधा होते हुए अपने अपने खाता की रास्ता नही मांगर कानून के विरूद्व जाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है राजनैतिक प्रभाव /दबाब में आकर गैरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकार करवाना चाहते है

तहसीलदार नोहर ने मौका रिपोर्ट एक तरफा तौर से पेश की गई है गैरसायल को सुनवाई का कोई भी अवसर नही दिया गया है ना ही गैरसायल के हस्ताक्षर करवाये गये है तहसीलदार नोहर ने स्वय मौका निरीक्षण भी नही किया गया है सभी प्रार्थना पत्रों की मौका रिपोर्ट खारिज की जाकर पुनः एक साथ मगवाई जावे तथा मुश्तरका खाते की भूमि में बिना खाता विभाजन के रास्ता नही दिया जा सकता है।

प्रार्थना पत्र 251ए ईसी भूमि के सम्बध में अन्य प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहने के कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है सायल व उसके भाईयो ने गैरसायल को परेशान करने की नीयत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

गैरसायल संख्या 11 का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया तथा तहसीलदार नोहर ने मौका रिर्पोट पेश की शामिल मिसल की गई जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली बहस हेतु पेश होने पर गैरसायल संख्या 11 के अधिवक्ता ने तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट पर एतराज प्रार्थना पत्र पेश कर किया जिस पर विधिवत सुनवाई की जाकर गैरसायल संख्या 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई ।

गैरसायल संख्या 11 के ऐतराज प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर तहसीलदार नोहर ने पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई जिसके सम्बध में गैरसायल संख्या 11 को अवगत करवाया जाकर पत्रावली में उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 135/42 की कुल 1.0120हैव भूमि का सायल खातदेार काश्तकार है एव रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090हैव भूमि में गैरसायलान की शामिल खाते की भूमि है। गैरसायलान की भूमि का सहखातेदार हरू पुत्र गणपतराम का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिस गैरसायल संख्या 9 ता 12 है।

सायल की चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 135/42 की कुल 1.0120हैक भूमि पर सायल काबिज काश्तकरि है लेकिन सायल का अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई भी स्वीकृत रास्ता नही है जिससे सायल को अपनी भूमि काश्त करने में भारी परेशानी हो रही है।

सायल के किला न0 10 की भूमि के गैरसायलान की किला न0 1 के चिपती भूमि है इसलिये सायल अपनी भूमि में जाने के लिये सायल गावं जसाना से चलकर स्वीकृतशुद्रा रास्ता से होते हुए गैरसायल की भूमि रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090हैक के प0न0 317/402(33) के किला न0 1/2 की 0.2280हैक में से मिन पश्चिम की 0.013हैक भूमि में से होते हुए अपने खेत रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 135/42 के प0न0 317/403(33) के किला न0 10 में प्रवेश करता है यह रास्ता सदामत से चालू है।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोर्ठ रास्ता उपलब्ध नही है यह रास्ता सबसे नजदीकी एव सुविधाजनक रास्ता है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है इसलिये गैरसायलान उक्त रास्ता को कभी भी बन्द कर सकते है।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता सुविधाजनक एवं नजदीकी है जिसे राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर दर्ज करवाना चाहता है तथा रास्ता की भूमि के बदले मे भूमि एव बाजार भाव से रूपये जो भी गैरसायलान चाहेगे देने के लिये तैयार है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान की भूमि रोही मोजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 के प0न0 317/402(33) के किला न0 1/2 के मिन पश्चिम की 0.013हैक भूमि में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

गैरसायल संख्या 11 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गैरसायलान की मुश्तरका खातेदारी भूमि है रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090हैक भूमि में से तीन सगं भाईयो की भूमि में से रास्ता लेने का प्रार्थना पत्र नियम विरूद्व पेश किया गया है रास्ता लेने के लिये एक ही भूमि के तीन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है एक प्रार्थना पत्र 35/2021 रणजीत बनाम गुडडी , प्रार्थना पत्र 1090/2021 रामप्रताप बनाम गुडडी , प्रार्थना पत्र. 4/2022 दुनीराम बनाम गुडडी पेश कर रखे है एक अन्य प्रार्थना पत्र सिलोचना बनमा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

... गैरसायल उत्तरदाता के खेत में पहले से ही दो रास्ते चल रहे है अब तीसरा रास्ता ... इस प्रार्थना पत्र के और मांगा जा रहा है इसके अलावा तीन सगे भाई दुनीराम, रामप्रताप, रणजीत ने तो गैरसायल की भूमि को काश्त योग्य ही रहने देने की धमकी दी गई है गैरसायल की भूमि के टुकडे हो जावेगे गैरसायल उत्तरदाता के नाम विरासतन नामान्तकरण नही हुआ है उसके पूर्वजो के नाम भूमि दर्ज है इसलिये मुश्तरका खाते की भूमि में बार प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है गैरसायल छोटा काश्तकार है जिसे परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किये जा रहे है।

सायल रणजीत व उसके भाईयो रामप्रताप व दुनीराम की पहले मुश्तरका खाते की भूमि थी जिसका बटवारा कर अपने खाते अलग अलग किये गये है अपने अपने खेत में रास्ता की सुविधा होते हुए अपने अपने खाता की रास्ता नही मांगर कानून के विरुद्ध जाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है राजनैतिक प्रभाव /दबाब में आकर गैरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकार करवाना चाहते है

तहसीलदार नोहन ने मौका रिपोर्ट एक तरफा तौर से पेश की गई है गैरसायल को सुनवाई का कोई भी अवसर नही दिया गया है ना ही गैरसायल के हस्ताक्षर करवाये गये है तहसीलदार नोहर ने स्वय मौका निरीक्षण भी नही किया गया है सभी प्रार्थना पत्रों की मौका रिपोर्ट खारिज की जाकर पुनः एक साथ मगवाई जावे तथा मुश्तरका खाते की भूमि में बिना खाता विभाजन के रास्ता नही दिया जा सकता है।

प्रार्थना पत्र 251ए ईसी भूमि के सम्बध में अन्य प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहने के कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है सायल व उसके भाईयो ने गैरसायल को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 135/42 की कुल 1.0120हैक्ट भूमि का सायल खातदेार काश्तकार है एव रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090हैक्ट भूमि में गैरसायलान की शामिल खाते की भूमि है। गैरसायलान की भूमि का सहखातेदार हरू पुत्र गणपतराम का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिस गैरसायल संख्या 9 ता 12 है।

सायल का कथन है कि उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है तथा गैरसायल का कथन है कि गैरसायल जो मुश्तरका काश्तकार है की भूमि में से पहले से ही रास्ते चल रहे है और रास्ता स्वीकार करने से उसकी भूमि के टुकडे हो जावेगे।

प्रस्तुत रिकार्ड एव नजरी नक्शा के अनुसार सायल एवं गैरसायलान एक दुसरे के चिपते खेत पडोसी है गैरसायल की भूमि में से स्वीकृत आम रास्ता चल रहा है गैरसायल की भूमि के एक किला दुरी पर सायल का खेत है जिसमें जाने के लिये काई भी रास्ता नही है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल की भूमि में से आम रास्ता चल रहा है तथा पत्थर लाईन के पास खाला चल रहा है गैरसायल की भूमि के पास आम रास्ता पर खाला पर पुली बनी हुई जो काफी ऊँचाई पर है जिससे अन्य काश्तकारो की भूमि पुली के दुसरी तरफ रह जाती है।

नजरी नक्शा के अनुसार गैरसायल के खेत के पास प0न0 316/402 के किला न0 5 के पास चालू आम रास्ता पर खाला पर पुली बनाये जाने से सायल की भूमि में जाने के लिये गैरसायल के किला न0. 1 के अलावा अन्य कोई रास्ता शेष नही रहता है।

आम रास्ता पर खाला पर पुली बनाई गई है जो काफी उचाई पर जिससे होकर आवागमन नही हो सकता है सायल की भूमि के चारो तरफ गैरसायल की भूमि ही शेष रहती है जिससे होकर सायल अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकता है इसके अलावा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अन्य कोई भी रास्ता सायल को उसकी भूमि में जाने के लिये नही है जो तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एव नजरी नक्शा से पूर्णत्या साबित है।

गैरसायल का कथन है कि सायल को उसकी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिये जाने से उसकी भूमि दो टुकडो में विभक्त हो जावेगी स्वीकार योग्य नही है सायल ने गैरसायलान की भूमि के किला न0. 1 में एक छोर पर रास्ता चाहा है जिससे गैरसायल की भूमि दो टुकडो में विभक्त नही होती है जो नजरी नक्शा से पूर्णत्या स्पष्ट है।

तहसीलदार राजस्व नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा से पूर्णत्या स्पष्ट है कि गैरसायला की भूमि के किला न0 1 में से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो सायल की भूमि स्वीकृत रास्ता से जुड जाती है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायल को उसकी भूमि में जाने के लिये नही है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता उचित प्रतीत होता है।

प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार नोहर के मौका नजरीया नक्शा के अनुसार सायल के लिये प्रश्नगत रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र साक्ष्य /सबुतों /नजरी नक्शा के आधार पर स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090हैक में से प0न0 317/402(33) के किला न0 1/2 के मिन पश्चिम की तरफ 0.0130हैक भूमि में रास्ता स्वीकार किया जाता है तथा रास्ता की भूमि के बदले में सायल गैरसायलान को रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि किला न0 1/2 में रास्ता की भूमि को छोडते हुए गैरसायल की भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़

क्रमांक : राजस्व / 2022 / 2177

दिनांक 05/07/2022

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बंध में प्रार्थना-पत्र सं0 35 सन 2021 निर्णय दिनांक 05/07/2022.

अनवान :- अनवान :-

1. रणजीत पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

प्रार्थी

बनाम

1. गुड्डी पुत्री रामसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर ।
2. महेन्द्र पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामासिंह जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. शेरसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. मदनसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. रविन्द्र सिंह पुत्र बगडावत जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. रामुकंवर पत्नी बगडावत जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. सरोज पत्नी प्रतापसिंह जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. भंवरी पुत्री हरू जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. रतना पुत्री हरू जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
11. विक्रम पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
12. लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत साकिन निवासी जसाना तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
14. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैक शाखा जसाना तहसील नोहर।
15. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा नोहर।

गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/20 की कुल 8.1090हैक्ट में से प0न0 317/402(33) के किला न0 1/2 के मिन पश्चिम की तरफ 0.0130हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकार किया जाता है तथा रास्ता की भूमि के बदले में सायल गैरसायलान को रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि किला न0 1/2 में रास्ता की भूमि को छोडते हुए गैरसायल की भूमि के चिपते हुए देगा तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner